फर्द अहकाम

(नियम 26)

2025/255

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी / अपीलांट	बनाम	अप्रार्थी / रेस्पोडेन्ट
श्री नरेन्द्रसिंह भाटी निवासी वार्ड नं. 12 आबूरोड जिला सिरोही।		सरकार जरिये सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड

किस्म मुकदमा— **अपील अन्तर्गत धारा 19 आर.टी.आई. एक्ट 2005** मुकदमा नं. 49 वर्ष 2025

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज
08.09.2025	अपीलांट ने यह प्रथम अपील रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 के तहत उनके द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने से धारा 19 के तहत प्रस्तुत की गई। अपीलांट की अपील दर्ज रजिस्टर की जावे। अपीलांट द्वारा अपनी अपील में निवेदन किया गया हैं कि उसके द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 12.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री तेजस कुमार का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया, उक्त प्रमाण पत्र की जारी दिनांक एवं टोकन संख्या सहित प्रमाणित प्रति एवं उक्त प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, पहचान सम्बन्धित प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व अन्य शपथ पत्र, जो भी प्रस्तुत किए गए, उनकी प्रमाणित प्रति एवं टीएसपी प्रमाण पत्र में वर्ष 1969 से पूर्व के किन दस्तावेजों के आधार पर श्री तेजस कुमार के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन का अनुमोदन किया गया, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी से दिलाये जाने का निवेदन किया गया था। किन्तु निर्धारित समयावधि में उसे चाही गई सूचना उपलब्ध नही कराई गई हैं। मैंने पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया गया कि अपीलांट द्वारा निर्धारित शुल्क रूपये 10/— जमा करा दिए है। अपीलांट द्वारा सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को दिनांक 12.05.2025 को एक ऑनलाईन प्रार्थना पत्र देकर निवेदन किया है कि श्री तेजस कुमार का विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग द्वारा किस दिनांक को जारी किया गया, उक्त प्रमाण पत्र की जारी दिनांक एवं टोकन संख्या सहित प्रमाणित प्रति एवं उक्त प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत किए गए शैक्षणिक दस्तावेज, जाति प्रमाण पत्र, पहचान सम्बन्धित प्रमाण पत्र, राशन कार्ड व अन्य शपथ पत्र, जो भी प्रस्तुत किए गए, उनकी प्रमाणित प्रति एवं टीएसपी प्रमाण पत्र में वर्ष 1969 से पूर्व के किन दस्तावेजों के आधार पर श्री तेजस कुमार के विशेष मूल निवास प्रमाण पत्र आवेदन का अनुमोदन किया गया, उनकी प्रमाणित प्रति से सम्बन्धित सूचना उपलब्ध करवाई जावे। पत्रावली के अवलोकन से यह पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा मांगी गई उपरोक्त सूचना सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार की जाकर सहायक लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार आबूरोड को आदेशित किया जाता है कि अपीलांट द्वारा चाही गई समस्त सूचना तत्काल नियमानुसार उपलब्ध करावें। यदि सूचना देना नियमों में संभव नही हो तो स्पेसीफिक आदेश पारित कर अपीलांट को सूचित करें। निर्णय सार–ए–इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। (अल्पा चौधरी) जिला कलक्टर, सिरोही